

परिशिष्ट - ५

विधान सभा प्रश्न क्र. 2910 तारांकित

प्रपत्र "ब"

क्र.	अनुभाग	कालोनाईजर/पक्षकारों के नाम व पता	शिकायती आवेदन में की गई कार्यवाही
1	मल्हारगंज	श्रीराम नगर के नाम से छोटा बागडवा अवैध कालोनी काटे जाने की शिकायत	अवैध कालोनी की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा उक्त अवैध निर्माण को नगर निगम के सहयोग से हटाने/तोड़े जाने की कार्यवाही की गई
2	विजय नगर	दो स्थानों पर 1. खिजराबाद 2. सिकन्दराबाद ग्राम खजराणा की शिकायत	प्रकरण की जांच की जा रही है।
3	महू	देवकरण पिता मुनालाल जाट निवासी मानपुर तह. महू जिला इन्दौर	अनावेदक कालोनाईजर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।
4	महू	जयप्रकाश पिता श्रीराम शर्मा निवासी मानपुर	अनावेदक कालोनाईजर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।
5	देपालपुर	विजय कुमार, ओमप्रकाश, बाबूलाल पिता बदीलाल, राकेश पिता रमेशचंद्र, नागेश्वर पिता जगदीश जयसवाल व अन्य निवास करबा देपालपुर	दिनांक 23.9.2014 को अवैध कालोनी के संबंध में 1.00 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण अपर कलेक्टर के यहां अपील में विचाराधीन है।
6	---	सुभाष पिता मोतीलाल चौधरी निवासी बेटमा	दिनांक 14.10.2014 को अवैध कालोनी के संबंध में 23.00 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
7	---	विरेंद्र कुमार, त्रिलोकचंद्र पिता बसंतिलाल, पुष्पलाल, नारायण पिता कल्याणमल महाजन निवासी करबा बेटमा	दिनांक 9.12.2014 को अवैध कालोनी के संबंध में 22.50 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
8	---	बाबूलाल, सुरेश कुमार पिता अवधबिहारी कलाल, विनोद, प्रमोद, चेतन पिता कुन्दनलाल, रामकन्या पति कुन्दनमल निवासी देपालपुर	दिनांक 31.3.2015 को अवैध कालोनी के संबंध में 1.05.62.800 (एक करोड़ पचास लाख बासठ हजार आठ सौ) अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

अबुभक्ति
मध्यप्रदेश
समर्थन एवं विकास विभाग
समर्थन एवं विकास

आमर सिंह
कार्यवाहन यंत्री
कर्मचारी प्रशासन एवं विकास मंत्र.

9	राज	प्रकाश शिवानी	जेलध कालोनी का निर्माण कार्य नगर निगम के सहयोग से रोका गया है।
10	महू	ईशान टाउनशिप 7 अशोक नगर भवरकुआ इन्दौर	अनुविभागीय अधिकारी महू को स्वयं स्वाशालय में अनावदक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने तथा मूखल के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का निर्देश दिये गये है।
11	साँवर	मौ विहार कालोनी तर्फ दिलीप सरदार सिंह ग्राम ढाबली तह साँवर जिला इन्दौर	अनुविभागीय अधिकारी साँवर को स्वयं स्वाशालय में अनावदक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने तथा मूखल के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का निर्देश दिये गये है।

नोट: इन्दौर जिले के अनुविभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित की गई है।

28/05/2024
आर. सिंह

कार्यपालक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्र

अनुविभागीय अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

28/05/2024

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला - इन्दौर